प्रावधान भी किया जायेगा। इसमें प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, अध्ययन दौरा आदि शामिल होंगे।

6.2 योजना में नयी तकनीकी सामग्री एवं उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान किया जायेगा। इसके लिए पथ निर्माण की नयी तकनीक पर आधारित Pilot Projects भी लिए जायेंगे।

6.3 उच्चतर एवं विशिष्ट तकनीकी एवं प्रबंधन संबंधी सेवाएँ आउटसोर्सिंग के आधार पर प्राप्त करने का भी प्रावधान किया जायेगा और इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी।

6.4 नाबार्ड योजना अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं के सुचारू रूप से कियान्वयन हेतु BRRDA का आवश्यकतानुसार सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। विशेषकर इसके पदों को प्रतिनियुक्त/संविदा के आधार पर भरने की कार्रवाई की जायेगी।

VII लेखा :–

7.1 प्रत्येक कार्य इकाई के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर लेखा संधारण करने वाले विशेषज्ञों/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सेवायें प्राप्त की जाएंगी। वे प्रत्येक माह प्रमंडल के अभिलेखों की जाँच करेंगे।

7.2 लेखा संधारण करने वाले विशेषज्ञ/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

VIII रख–रखाव :–

नाबार्ड योजना अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं के रख–रखाव हेतु राज्य बजट की गैर योजना मद की राशि का निवेश होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता के पथों का निर्माण किया जाएगा। इस शीर्ष अन्तर्गत चयनित योजनाओं के निर्माण कार्य के साथ ही पंचवर्षीय रख–रखाव की व्यवस्था की जायेगी। राज्य सरकार इन पथों के उचित रख–रखाव के लिए वित्त पोषण के स्थायी स्त्रोत बनाने का प्रयास करेगी। जबतक इस संबंध में स्थायी स्त्रोत विकसित नहीं होते है तबतक इस योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले पथों के वार्षिक रख–रखाव हेतु ग्राम्य अभियंत्रण संगठन को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशासी विभाग द्वारा विभाग में चल रहे योजनाओं के मरम्मति एवम् रख–रखाव हेतु Maintenance Policy तैयार कर पथ निर्माण विभाग को सौंपा जा चुका है, जिसे समेकित रूप से लागू करने हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।